

15/10/2019

पलावली पेडा हुई / वादी रकं उनके
अधिकार को लीन बाइ उवाज दिलाफी
गयी, आज यह न्यायालय में उपास्थित
नही है। अतः वाद वादी अदम हाजरी
अदम पैरकी में खारिज किया जाता
है। पलावली निर्णय में शुमार होकर
बाम्बर से काम हो तथा वाद तामीन
तकमील दाखिल दस्तार हो।

निर्णय दस्तार
(राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

